

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 685 / 28 फ. व.
सेवा में,

दिनांक 28/02/2020

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत देवलधार-मैथान-लेटी -गिरेछीनना मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 6.9975 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन।

प्रस्ताव सं० - FP/UK/ROAD/10903/2015

सन्दर्भ:- 8बी0/यू0सी0पी0/06/182/2016/एफ0सी0/1232 दिनांक 13.09.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

पत्रांक 685 / तददिनांक

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी देहरादून को सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी बागेश्वर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

जनपद बागेश्वर में राज्य योजना के अन्तर्गत देवलधार-मैथान-लेटी -गिरेछीनना मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 6.9975 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/१८२/२०१६/एफ०सी०/१२३२ दिनांक १३.०९.२०१८ द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तों बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है।

- १- शर्त संख्या १ के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित १३.९९५ है० ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० ४२,८९,९०१.०० मात्र (रू० बयालीस लाख उन्नासी हजार नौ सौ एक मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं० SBINR 52020021000015906 दिनांक १०.०२.२०२० द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि १३.९९५ है० ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं० ४०/छब्बीस-१०वन/२०१४-१५ दिनांक ०१.०१.२०१९ द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रांक-२३८/र०का०/वन भू०ह०/२०१८ दिनांक ०८.०१.२०१९ द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण /नामान्तरण कर दिया गया है।(सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)
- २- शर्त सं० २ के अनुपालन में रू० ४५९७३५८.०० पैंतालीस लाख सत्तानबे हजार तीन सौ अठावन मात्र) एन०पी०वी० की धनराशि भुगतान UTR नं० SBINR 52020021000015906 दिनांक १०.०२.२०२० द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।
- ३- शर्त सं० ३ के अनुपालन में सक्षम स्तर से एन०पी०वी० की दरें में बढ़ोत्तरी होने पर बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचतबद्धता पहले ही प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है।
- ४- शर्त सं० ४ के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं सभी दूसरी निधियाँ RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर दी गयी है। बैंक से प्राप्त यू०टी०आर० की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
- ५- शर्त सं० ५ के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
- ६- शर्त सं० ६,७ एवं ८ पार्ट-१ में पुनः ऑनलाईन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति एवं भारत सरकार से भूमि हस्तान्तरण आदेश जारी कराने की कृपा करें।

संलग्न- (१) जिलाधिकारी के आदेश दिनांक ०१.०१.२०१९ की प्रति।

(२) तहसीलदार बागेश्वर के पत्र दिनांक ०८.०१.२०१९ खतोनी की प्रति सहित।

(३) RTGS/NEFT फार्म की प्रति।

(४) शासनादेश की प्रति संलग्न है।

(५) प्रमाण पत्र।

(६) एन०पी०वी० बिल की प्रमाणित प्रति।

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर।

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या-238/र०का०/वन भू०ह०/2018 दिनांक 08 जनवरी, 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।



विषय--

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त 6.9975 है० की दुगुनी अवनत भूमि 13.995 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या-40/छब्बीस-10 वन/2014-15 दिनांक 01/01/19 के अनुपालन में ग्राम दुलम राजरव उप निरीक्षक क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 47 के पैमायशी खेत नं० 4646 रकवा 8.125 है० एवं खेत नं० 4647 रकवा 7.875 है० मध्ये 5.870 है० कुल 13.995 है० श्रेणी 9(3) ख (2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :-

- (1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- (2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

वन भू०ह०

म. 2019
15/1

8/1/19
तहसीलदार
कपकोट।

उद्घरण और जम वि रजलेनी

ग्राम- दुलम रां ३० नि कील- लोहारवेत तह- कपकोट जनपद- बागेश्वर
शेणी- ६(३) ख

खं० (वां० संख्या)	नाम (वातेदार)	अपे (अधिक प्रमाणित)	खेत नम्बर	रजवा (हैने)	लगाव अन्य
047	जगल		2622	0.745	हुका- डीवान जि- का मनेवप बगिजर आ स ०१/३वीस वन/अप्रलासद/०२-०३ दिनाके २५.५.०३ के (P.P.) एवं सुमंष के पाप विर नम्बजर दिर्गा न दिनेन पर बलपे कडुल ह- दुसके के एन ५० जगल ५० मेत्र ५१ क.अ.अ. से कुल १५५५५ के क पलोपर के नाम नामानेन दिना १५ ह- ५/२६/०३ लोहारवेत डीवान जिलाधिकारी अयोध कलेक्टर के आर्मास पत्र स ५०/६वीस - १० वन/अ. १५ दिना ०१/०१/१९ के अडुल पापु मोहन के अर्जगत जनपद बागेश्वर में देवलगा- कादि लेदी- गिरेदीना अवेर मर्ग के निर्माण हेतु अडुल वन अदि ६.९९५ के अडुलनी कवन अदि १३.९९५ के अडि अडुल (५५) के पैगरी खेत न ५६५६ एका ०.१२५ है, खेत नम्बर ५६५५ अ ५.८३० है कुल १३.९९५ है अदि आमनेअ सज २१३३/XV (11) २०१२-१८ (१३) २०१२ दिना १३ डिसेम्बर २०१२ का परावाम वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय भारत सज अस्थापन देवराइन के पत्र स- ०८/वी/क सी पी/०६/१०२/२०१६ / एन सी/१२३२ दिना १३.०९.२०१८ ने दी गयी शर्त के अधीन अदि हस्तरोपण हेतु वन विभाग के पत्र ने नामान्तरित / हस्तन्तरित दिना जाता है.
			2623	२.१५८	
			2624	५.५३८	
			2625	२.२५०	
			कयः		
			५६५५	१३.३१३	
			५६५६	८.१२५	
			५६५७	७.८३५	
			५६५८	५.६८८	
			५६५९	०.६२०	
			५६५०	५.९३८	
			५६५२	५.८८८	
			५६५३	१.३१३	
			५६५५	६.६२५	
				</	

अहोदय

तैयार किया।

सत्यापित

तहसील कपकोट

राजस्व सहायक ०१/०१/२०१९
०१०० (३०/०१/२०१९)

आदेश

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर राज्य योजना के अंतर्गत जनपद, बागेश्वर में देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 6.9975 है० की दुगुनी अवनत भूमि 13.995 है० जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4646 रकवा 8.125 है० एवं खेत नं० 4647 रकवा 7.875 है० मध्ये 5.870 है० कुल रकवा 13.995 है० भूमि जो श्रेणी 9(3)ख (2) जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या 2173/xviii(11)2012-18 (120)/2012 दिनांक 17दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-08 बी/यू०सी०पी०/०६/182/2016/एफ० सी०/1232 दिनांक 13.09.2018 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर ।

संख्या - 40/ छब्बीस -10 वन /2017-18 दिनांक 01/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ।
- 2- संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, कपकोट ।
- 3- अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड ,लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर ।
- 4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर ।

वन अधिकारी

3/1

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-01-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110903461
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/182/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	8887259/-

Amount in Words :Eighty-Eight Lakh Eighty-Seven Thousand
Two Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following
details;**

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110903461 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-01-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6110903461
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/182/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	8887259/-

Amount in Words :Eighty-Eight Lakh Eighty-Seven Thousand
Two Hundred and Fifty-Nine Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following
details;**

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110903461 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

U.T.R. No - SBINR 52020021000015906

DT - 10-02-2020

Unique Transaction Reference Number

Value Date

Related Reference Number

Amount

Commission

Message Type

Beneficiary details

Beneficiary Account

Beneficiary Name

Beneficiary IFSC Code

Beneficiary Address1

Beneficiary Address2

Beneficiary Address3

Dealer Code

Details of Payment

Remitting Customer Details

Account Number

Remitter's IFSC Code

Remitter's Name

Remitter's Address1

Remitter's Address2

Remitter's Address3

Sender to Receiver's Information

ATTN/Deposit/Reinvestment

Error Details

Error Code

Error Reason

Additional Details

Instruction Priority

Purpose Code

Credit Status:

Credit Time

Credit Date

SBINR52020021000015906

10/02/2020

8887259

0

P08

INR

150896110903461

UTTARANCHAL CAMPA

CORP0000371

DELHI

00000037608159322

SEIN9001693

PROV DIV PWD

BAGESHWAR



RECEIVED

CASH/Cash Management Transfer

CREDIT CONFIRMED

10/02/15

10/02/2020

reference Number

SBINR52020021000015906

10/02/2020

ber

8887259

INR

0

P08

150896110903461

UTTARANCHAL CAMPA

CORP0000371

DELHI

Details

0000003760815932

SBIN0001693

PROV DIV PWD

BAGESHWAR

Information

Investment

H: HIGH

CASH Cash Management Transfer

CREDIT CONFIRMED

10:02:15

10/02/2020

Close

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१८२/२०१६/एफ०सी०/१२३२

दिनांक: 13/09/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : Diversion of 6.9975 ha of forest land for construction of Dewaldhar-Maithan-Leti-Girechhina Motor Road in favour of PWD within the jurisdiction of Bageshwar Forest Division District Bageshwar, Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10903/2015).

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/10903/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक-889/X-4-16/1(279)/2016 दिनांक 06.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10903/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 27.08.2018 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **Diversion of 6.9975 ha of forest land for construction of Dewaldhar-Maithan-Leti-Girechhina Motor Road in favour of PWD within the jurisdiction of Bageshwar Forest Division District Bageshwar, Uttarakhand** हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 13.995 है० दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथार्थशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will upload correct data about employment generation at para E (ii) online Part I.

(Handwritten Signature)
13/09/18

6. State Govt. will upload justification for locating the project in forest area duly C/S by DFO.
7. State Govt. will upload revise KML file of the CA area proposed at para L online Part I.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:--

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
 2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरो पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
 3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 13.995 है० दुलम सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
 4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
 5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
 6. निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
 7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
 8. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
 9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
 10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 295 से अधिक न हो।
 11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
 12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक